

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 94/2018

बउनवान

रामकुंवार पुत्र नन्दलाल मेघवाल आयु—50 वर्ष, जाति—मेघवाल निवासी—सीधन्या  
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां (अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मोंगरोल (रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :- 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक  
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांत)  
(रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक— 25.11.2020**

1— अपीलांत ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सीधन्या, तहसील—मोंगरोल की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 291, 293, 294/427, 302 कुल रकबा 0.74 हैक्टर, किस्म बंजड पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1184/—रूपये अर्थदण्ड, फसल जप्ती नीलामी एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2— अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांत का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांत को सुनवायी एवं जवाबदेही का समुचित अवसर नहीं दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांत व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।



4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर, सजायाब किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व दस्तावेजात् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 78/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सरकारी बंजड है। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 222/18 निर्णय दिनांक 05.03.2018 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 222/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)  
जिला कलक्टर, बारां